PROCESSING INDUSTRIES be pleased to state:

(a) whether Government have made an internal decision to downgrade the importance of marine and deep-sea fisheries;

(b) whether it is a fact that there is no JointSecretary level officer dealing exclusively with the development of deep-sea fisheries.

(c) what are the reasons for down grading deep sea fisheries; and

(d) whether any effort has been made to focus on the finding solution to the industry which is critical to Northern Andhra Pradesh?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES (SHRI TARUN GOGOI): (a) No, Sir.

(b) Yes, Sir.

(c) Does not arise.

(d) Schemes for setting up of cold chain, scheme on tuna and other fish processing, assistance for diversified fishing, scheme for providing interest subsidy on loan for acquisition of deep sea fishing vessels, are being implemented under the 8th Fiveyear Plan for assistance the entrepreneurs, including those from Northern Andhra Pradesh.

Marine Ecology

3878. SHRI V. HANUMANTHA RAO: Will the Minister of FOOD PROCESSING INDUSTRIES be pleased to state:

(a) whether the Ministry of Food Processing is allowing multinational companies to come in unhindered into the fishing grounds in Bay of Bengal;

(b) what will be the fate of fishermen and small entrepreneurs based in Andhra Pradesh;

(c) whether such a move will harm marine ecology; and

(d) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES (SHRI TARUN GOGOI): (a) No multinational company has been allowed for deep sea fishing in the Indian Exclusive Economic Zone. However, a number of Indian Companies have been permitted to set up joint venture companies in collaboration with foreign fishing companies for deep sea fishing in Indian waters by acquisition of vessels through purchase/lease. Operation of such vessels is allowed only beyond the territorial waters, which are reserved for traditional fishermen. At present, only 17 deep sea fishing vessels are in operation under Joint Venture/Lease in the Indian EEZ.

(b) to (d) Do not arise.

देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित करने हेतु प्राप्त हुई पेशकश

3879. श्री राम जेठमलानी: क्या खाद्य प्रसंस्करण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश में खाद्य-प्रसंस्करण उद्योग के एकक स्थापित करने हेतु सरकार को अगस्त, 1994 से जून, 1994 की अवधि के दौरान अनेकों पेशकश प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो इन पेशकशों की संख्या कुल कितनी है और इनमें कुल कितना पूंजी निवेश होने की संभावना है;

(ग) क्या यह भी सच है कि इन एककों को शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक स्थापित करने का निश्चय किया गया है;

(घ) यदि हां, तो ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में स्थापित किए जाने वाले एककों की अलग-अलग संख्या कितनी है तथा इन एककों में अनुमानत: कितने-कितने स्थानीय लोगों को एकक-वार रोजगार प्राप्त को होने की संभावना है; और

(ङ) देश में विभिन्न राज्यों के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित किए जाने वाले इन प्रस्तावित एककों की अलग-अलग संख्या कितनी है और मार्च, 1994 तक कुल कितने एकक स्थापित किए जा चुके हैं?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरूण गोगोई): (क) से (ङ) अगस्त 1991 से जून 1994 तक सरकार को 34,469 करोड़ रु. के प्रस्तावित निवेश वाले 2680 औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन प्राप्त हुए हैं जिनमें 4.82 लाख व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रोजगार देने का प्रस्ताव है। सरकार ने लगभग 7060 करोड़ रु. के निवेश वाले विदेशी/अनिवासी भारतीय निवेश, निर्यातोन्मुखी यूनिटों और औद्योगिक लाइसेंस संबंधी परियोजना प्रस्तावों

को मंजूरी दी है। सरकार कंपनियों को गैर शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में यूनिटें स्थापित करने के लिए परामर्श और प्रोत्साहन भी देती है। मूल औद्योगिक उद्यमी ज्ञापनों में से 2278 यूनिटों की स्थापना गैर शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों में करने का प्रस्ताव है इनमें 4,37,663 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। इसी तरह 516 परियोजना प्रस्तावों में से 446 प्रस्तावों में शहरी इतर क्षेत्रों में स्थापना का प्रस्ताव है। इनमें 74,600 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। शहरी और गैर शहरी क्षेत्रों में औद्योगिक उद्यमी ज्ञापनों के राज्यवार का ब्यौरा संलग्न वितरण विवरण में दिया गया है। (नीचे देखिए) मर्च, 1994 तक कुल 163 यूनिटों की स्थापना की जा चुकी है।

विवरण

औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन का राज्यवार वितरण

क्रम सं.	राज्य का नाम	प्रस्तुत किए गए औद्योगिक उद्यमी ज्ञापनों की संख्या	
		(ग्रामीण)	(शहरी)
1.	आंध्र प्रदेश	136	25
2.	असम	2	–
3.	बिहार	13	2
4.	गुजरात	156	35
5.	हरियाणा	281	39
6.	हिमाचल प्रदेश	30	1
7.	जम्मू व कश्मीर	7	–
8.	कर्नाटक	53	5
9.	केरल	14	2
10.	मध्य प्रदेश	203	29
11.	महाराष्ट्र	323	48
12.	मणिपुर	0	0
13.	मेघालय	1	0
14.	नागालैंड	1	0
15.	उड़ीसा	11	1
16.	पंजाब	200	30
17.	राजस्थान	299	39
18.	तमिलनाडु	73	11
19.	त्रिपुरा	0	---
20.	उत्तर प्रदेश	465	82
21.	पश्चिम बंगाल	38	20
22.	सिक्किम	1	0
23.	अंडमान निकोबार	1	0
24.	अरूणाचल प्रदेश	0	0
25.	चंडीगढ़	0	2
26.	दादरा व नागर हवेली	8	0
27.	दिल्ली	10	31
28.	दमन व दीव	6	0
29.	एल एम एंड व द्वीप समूह	0	0
30.	मिजोरम	0	0
31.	पांडिचेरी	9	0
32.	गोआ	7	0
	कुल योग:	2278	402

हरियाणा में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की संख्या

3880. **श्री रामजीलाल:** क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देने हेतु राज्यों की सहायता अनुदान उपलब्ध कराने का कोई निर्णय लिया है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पिछड़े क्षेत्रों को कितनी–कितनी सहायता उपलब्ध कराई गई है;

(ख) इन क्षेत्रों को इस प्रकार की राजसहायता कब तक उपलब्ध कराई जाती रहेगी;

(ग) इस वर्ष के दौरान इस योजना के अन्तर्गत हरियाणा में कितने उद्योग स्थापित किए गए हैं;

(घ) क्या सरकार ने इस संबंध में मुख्यमंत्रियों की कोई बैठक बुलाई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गोगोई): (क) और (ख) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय आठवीं योजना के दौरान कार्यान्वित की जा रही अपनी योजना स्कीमों के अन्तर्गत पिछड़े क्षेत्रों सहित सभी क्षेत्रों में खाद्य प्रसंस्करण सुविधाओं की स्थापना/उन्नयन के लिए राज्य सरकार के उपक्रमों/सहकारिताओं/संयुक्त क्षेत्र/सहायता प्राप्त क्षेत्र, स्वैच्छिक संगठनों, प्राइवेट सेक्टर के उपक्रमों आदि को सहायता देता है। जनजातीय क्षेत्रों सहित पिछड़े क्षेत्रों, पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों में फल और सब्जी उत्पादों तथा मांस एवं पाल्ट्री उत्पादों के मामले में दी जाने वाली सहायता सामान्य क्षेत्रों से अधिक है। योजना के पिछले दो वर्षों में जनजातीय क्षेत्रों सहित पिछड़े क्षेत्रों, पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी राज्यों में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में यूनिटों की स्थापना/उन्नयन के लिए 12.14 करोड़ रुपये की सहायता दी गयी है।